क्रम-संख्या–138

(१)

रजिस्टर्ड नं० एल० डब्ल्यू०/एन० पी० !
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०–41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 2 अप्रैल, 1994

चैत्र 12, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 603/सत्रह-वि–1—1(क) 1-1994

लखनऊ, 2 अप्रैल, 1994

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1994 पर दिनांक 31 मार्च, 1994 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1994

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1994]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा ।

(2) यह 15 जनवरी, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात् :—

मण्डी समितियों के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध

"2—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है), के उपबन्ध एक वर्ष की अवधि या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन निर्वाचित मण्डी समिति का संगठन होने तक के लिए, जो भी पहले हो, प्रत्येक मण्डी क्षेत्र जो ऐसे प्रारम्भ के दिनांक पर विद्यमान था या उक्त अवधि में इस रूप में घोषित किया जाए उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(क) जैसा खण्ड (ख) में उपबन्धित है उसके सिवाय, किसी मण्डी समिति के समस्त अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट की जाने वाली तदर्थ समिति द्वारा किया जाएगा ;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट तदर्थ समिति में ग्यारह सदस्य होंगे, जिनमें से एक को सभापति पदाभिहित किया जाएगा और सदस्यों में से, एक सदस्य ऐसे कमीशन एजेण्टों में से और दो ऐसे व्यापारियों में से, जो मण्डी क्षेत्र में कारबार करते हों, जैसा कि मण्डी समिति के लाइसेन्स से प्रकट हो, और आठ सदस्य मण्डी क्षेत्र के उत्पादक सदस्यों में से होंगे ;

(ग) राज्य सरकार किसी भी समय तदर्थ समिति के किसी सदस्य को उसके स्थान पर नया नाम-निर्देशन करके बदल सकती है ;

(घ) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तदर्थ समिति को सभी प्रयोजनों के लिए मण्डी समिति समझा जाएगा ;

(ङ) तदर्थ समिति मण्डी निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण या अर्जन नहीं करेगी ;

(च) यदि तदर्थ समिति के सदस्यों में कोई मतभेद हो तो बहुमत का विनिश्चय मान्य होगा ;

(छ) राज्य सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध बना सकती है जिसमें उक्त अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुकूलन, परिष्कार या प्रवर्तन को पूर्ण या आंशिक रूप से निलम्बित करने का उपबन्ध भी सम्मिलित है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, जो उसे पूर्ववर्ती या सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो ;

(ज) खण्ड (क) और (ख) के अधीन तदर्थ समिति नाम-निर्दिष्ट किए जाने तक उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व मण्डी समिति के अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रवृत्त उपबन्ध लागू रहेगा ;

(झ) जिला मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन तदर्थ समिति के नाम-निर्देशन के दिनांक से मण्डी समिति या उसके सभापति और उप सभापति के सभी अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन करना बन्द कर देगा, और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किन्हीं ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी भी उक्त दिनांक से उनका प्रयोग करना बन्द कर देगा ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब भी उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखी जाएगी, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाए, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बन्धित अधिसूचना के अधीन पहले से की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 1994

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी, मानो इस अधिनियम के प्राविधान सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
सचिव।

No. 603 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-i/1994
Dated Lucknow, April 2, 1994

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1994 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 1994) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on Mrch 31, 1994.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITIS (ALPAKALIK VYAVASTHA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1994

[U. P. ACT NO. 6 OF 1994]

[As passed by the U. P. Legislature]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1994.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 15, 1994.

Substituted of section 2 of U. P. Act no. 7 of 1972

2. *For* section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"2. (1) With effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1994, the provisions of Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (hereinafter referred to as the said Adhiniyam), shall for a period of one year or until the constitution of an elected Mandi Samiti under section 13 of the said Adhiniyam, whichever is earlier, have effect in relation to every market area which existed on the date of such commencement or declared to be so during the said period, subject to the following provisions, namely :—

Temporary provision regarding administration of Mandi Samitis

(*a*) except as provided in clause (*e*), all powers, functions and duties of a Market Committee shall be exercised, performed and discharged by an *ad-hoc* committee to be nominated by the State Government ;

(*b*) the *ad-hoc* committee referred to in clause (*a*) shall consist of eleven members, one of whom shall be designated as the Chairman; and out of the members, one member shall be from amongst the commission agents and two from amongst the traders carrying on business in the market area, as evident from the licence of the Market Committee and eight from amongst the producer members of market area ;

(*c*) the State Government may, at any time, replace any member of the *ad-hoc* committee by making a fresh nomination in his place;

(*d*) subject to the provisions of this section, the *ad-hoc* committee shall be deemed, for all purposes, to be the Market Committee;

(*e*) the *ad-hoc* committee shall not transfer or acquire any immovable property without prior permission of the Director of Mandis, Uttar Pradesh, Lucknow ;

(f) if there is a difference of opinion amongst the members of the *ad-hoc* committee, the decision of the majority shall prevail;

(*g*) the State Government may, from time to time, by notification, make such incidental and consequential provisions, including provisions for adapting, modifying or suspending, in whole or in part, the operation of any provisions of the said Adhiniyam, but not affecting the substance, as may appear to it to be necessary or desirable for any of the foregoing or connected purposes;

(*h*) until the nomination of *ad hoc* committee under clauses (*a*) and (*b*), the arrangement in force immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1994 for the exercise, performance and discharge of the powers, functions and duties of a Market Committee shall continue;

(*i*) the District Magistrate, shall with effect from the date of the nomination of the *ad hoc* committees under this section, cease to exercise all powers, functions and duties of the Market Committee or its Chairman and Vice-Chairman, and any officer specified by the District Magistrate to exercise any such powers, shall also, with effect from the said date, cease to exercise them.

(2) Every notification issued under clause (*g*) of sub-section (1) shall as soon as may be, after it is issued be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than thirty days extending in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed take effect from the date of its publication in the *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so, however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done there under."

Repeal and savings

3. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhyadesh, 1994 is hereby repealed. U. P. Ordinance of 19

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए० पी० 4 सा० (विधा०)--(6)--1994--850 (मेक०)।